<u>आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर</u>

<u>श्री कुल भारत, न्यायिक सदस्य तथा</u>
<u>श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष</u>

<u>आ. अ. सं. 635/इंदौर /2017</u>
<u>निर्धारण वर्ष : 2006-07</u>

श्री राकेश सिंह गौतम लेबड जिला धार (म.प्र)	बनाम	सहायक आयकर आयुक्त 1 (2), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एबीपीटीजी 7239 बी		

अपीलार्थी की ओर से	सर्वश्री अनिल कमल गर्ग तथा अर्पित गौर, सीए
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री. के.जी.गोयल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि

सुनवाई तिथि	17.01.2019
उद्घोषणा तिथि	18.01.2019

<u>आदेश</u>

<u>श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य द्वारा</u>

निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिए निर्धारिती द्वारा यह अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-I, इंदौर के आदेश दिनांक 13.06.2017 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधार पर दाखिल की गई है ।

2. सुनवाई के प्रारंभ में ही, निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि निर्धारिती वर्तमान अपील का अनुसरण करने का इच्छुक नही है । अतः उन्होंने इस अपील

को वापिस लेने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निर्धारिती के अनुरोध का विरोध नहीं किया है । अतः हम इस अपील को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते है तथा इसे वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश 18.01.2019 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-
(कुल भारत)	(मनीष बोरड)
न्यायिक सदस्य	लेखा सदस्य

दिनांक : 18.01.2019

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल